

प्रेस नोट दिनांक 20.10.2020

1. दिनांक 19.10.20 को वादी श्री नितीश कुमार श्रीवास्तव प्रभारी निरीक्षक को0नगर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि 1. प्रदुम्न चौहान पुत्र राम अवतार चौहान 2.प्रेम कुमार चौहान पुत्र रमेश चौहान नि0गण ढोलवापुर थाना छावनी बस्ती जिसके संबंध में अभि0गण के कब्जे से कूटरचित नम्बर प्लेट की हीरो स्पेलेण्डर मोटर साइकिल बरामद होना अभि0 प्रदुम्न के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। थाना को0नगर में मु0अ0सं0 695/20 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि 3/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 19.10.20 को वादी उ0नि0 श्री शंकर लाल यादव थाना कैण्ट अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि जिसके संबंध में धर्मेन्द्र निषाद पुत्र भगवतदीन नि0 मऊ शिवाला थाना कैण्ट अयोध्या गिर0 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चाकू नाजायज बरामद होना।थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 490/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 19.10.20 को वादी श्री जोखू पुत्र लल्लन यादव नि0 समसुददीनपुर थाना को0अयोध्या अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मनोज यादव पुत्र बनवारी लाल नि0 समसुददीनपुर थाना को0अयोध्या अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी का कोल्हू व बम्बा उखाड़ कर फेक देना, मना करने पर मारना पीटना व धमकी देना। जिसके संबंध में थाना को0अयोध्या में मु0अ0सं0 748/20 धारा 323, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 19.10.20 को वादी श्री रघुनाथ यादव पुत्र कन्हैयालाल नि0 भगवाभीट थाना पूराकलन्दर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विकास यादव पुत्र राजमणि नि0 भगवाभीट थाना पूराकलन्दर अयोध्या आदि 03 नफरकोचिंग पढ़ाने की बात को लेकर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 591/20 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 19.10.20 को वादी श्री शिव कुमार पुत्र जगन्नाथ नि0 चौरे चन्दौली थाना को.बीकापुर अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि श्री शिव कुमार पुत्र जगन्नाथ नि0 चौरे चन्दौली थाना को.बीकापुर अयोध्याअभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना।जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं00737/20 धारा 323, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 19.10.20 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार सरोज थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि विजय पाल पुत्र फुल्ली नि0 कीन्हूपुर थाना खण्डासा अयोध्या गिर0अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 452/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 19.10.20 को वादी उ0नि0 श्री वीरेन्द्र कुमार सरोज थाना खण्डासा अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वंशीलाल पुत्र सर्वादीन नि0 मठिया डीली सरैया थाना खण्डासा अयोध्या गिर0अभियुक्त के कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 453/20 धारा 60(1) आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।